इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 जनवरी 2018—पौष 28, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्र. 1097-19-इक्कीस-अ-(प्रा.)अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 जनवरी, 2018 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् २०१८

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१७

[दिनांक ४ जनवरी २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १८ जनवरी २०१८ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ को और संशोधित करने तथा भूतलक्षी प्रभाव से इसका विधिमान्यकरण करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१७ है.

धारा १५ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा १५ में, उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(१) राज्य सरकार एक संभाग में एक या अधिक अपर आयुक्त नियुक्त कर सकेगी.".

विधिमान्यकरण.

३. धारा २ द्वारा मूल अधिनियम में किए गए संशोधन १ जुलाई, २०१७ से किए गए समझे जाएंगे और तद्नुसार उक्त तारीख को या उसके पश्चात् और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित कार्रवाई या बात किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, सभी प्रयोजनों के लिये उतनी ही विधिमान्य और प्रभावी रूप से की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उक्त संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों.

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2018

क्र. 1097-19-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 5 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 5 OF 2018

THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 2017

[Received the assent of the Governor on the 4th January, 2018 assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 18th January 2018].

A Act further to amend the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 and its validation with retrospective effect.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows :-

Short title

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Land Revenue Code, (Amendment and Validation) Act, 2017.

Amendment of Section 15.

2. In section 15 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) (hereinafter referred to as the principal Act), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) The State Government may appoint one or more Additional Commissioner in a division.".

Validation.

3. The amendment made in the principal Act by section 2 shall be deemed to have been made with effect from the 1st day of July, 2017, and accordingly any action or thing taken or done or purporting to have been taken or done under the principal Act on or after the said date and before the commencement of this Act, shall, notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal or other authority, be deemed to be, and to have always been, for all purposes, as validly and effectively taken or done as if the said amendment had been in force at all material times.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.